

WRC

An Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre
Workplace Relations Commission



आयरलैंड में घरेलू कर्मचारियों के
रोजगार-संबंधी अधिकार

घरेलू कर्मचारी की परिभाषा क्या है?

आयरलैंड के कानून में कर्मचारी सामान्यतया उस व्यक्ति को माना जाता है जो रोजगार के अनुबंध के तहत काम करता हो। ऐसा अनुबंध स्पष्ट या अंतर्निहित हो सकता है, या मौखिक या लिखित हो सकता है

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन (आईएलओ) के घरेलू कर्मचारी संधिपत्र, 2011 (क्र. 189) में घरेलू कर्मचारी की परिभाषा में कहा गया है, ऐसा व्यक्ति जो किसी रोजगार के संबंध में घरेलू काम करता है और यह काम किसी एक या अनेक परिवारों के लिए हो सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी विशेष मौके पर या कभी-कभी घरेलू काम करता हो और ऐसा काम यदि रोजगार के उद्देश्य से नहीं हो तो उसे घरेलू कर्मचारी नहीं माना जाएगा।

घरेलू काम में साफ-सफाई, खाना पकाना, कपड़े धोना, प्रेस करना, बच्चों की देखभाल करना, परिवार के बूढ़े या बीमार सदस्यों की देखभाल करना, बागवानी और रख-रखाव, गाड़ी चलाना और घर के दूसरे का शामिल हैं।

घरेलू काम का क्षेत्र अनेक कारणों से शोषण की दृष्टि से संवेदनशील होता

है :

- ▶ इसे विदेशी कर्मचारियों द्वारा रोजगार के मौके के रूप में देखा जाता है और इससे भाषा, संस्कृति और कानून संबंधी समस्याएँ खड़ी हो सकती हैं (आप्रवास / काम करने का लाइसेंस - वर्क परमिट)
- ▶ घरेलू काम निजी घरों में किया जाता है इसलिए अलग-थलग होता है और इससे नियोक्त पर निर्भरता होती है
- ▶ घरेलू कर्मचारियों से अक्सर यह अपेक्षा होती है कि वे दूसरे कर्मचारियों कि तुलना में ज़्यादा समय तक काम करेंगे
- ▶ इस क्षेत्र में वेतन की दर सामान्यतया कम होती है

1 राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 2000 (नैशनल मिनिमम वेज एक्ट 2000) की धारा 2 में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के उद्देश्य से रोजगार के अनुबंध की परिभाषा दी गई है

घरेलू कर्मचारियों के अधिकार क्या हैं?

आयरलैंड के कानून के अंतर्गत कानूनी रूप से कार्यरत घरेलू कर्मचारियों के पास वे सारे अधिकार और सुरक्षाएँ हैं जो अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध हैं। सन 2007 में मजदूर संबंध आयोग ने (लेबर रिलेशन कमीशन), जिसका नाम अब कार्यस्थल संबंध आयोग (वर्कप्लेस रिलेशन कमीशन) हो गया है, सोशल पार्टनर्स के प्रतिनिधियों से सलाह करके एक [दूसरों के घरों में काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आचार संहिता \(2007\) बनाई जिसमें](#) निजी घरों में काम करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों का वर्णन है।

संक्षेप में, घरेलू कर्मचारियों के रोजगार-संबंधी अधिकारों में ये बातें शामिल हैं :

- ▶ काम शुरू करने के पाँच दिनों के भीतर रोजगार के नियमों और शर्तों को लिखित में प्राप्त करना या रोजगार का लिखित अनुबंध प्राप्त करना या पाँच मूल शर्तों को लिखित में प्राप्त करना
- ▶ वेतन का लिखित विवरण प्राप्त करना (वेतन पर्ची या पेस्लिप)
- ▶ कम से कम राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी (नेशनल मिनिमम वेज) का भुगतान प्राप्त करना
- ▶ वार्षिक छुट्टी और सार्वजनिक अवकाश मिलना
- ▶ औसतन सप्ताह में 48 घंटों से ज्यादा काम नहीं करना
- ▶ रविवार को काम करने के बदले में अधिक वेतन पाना
- ▶ काम के बीच में ब्रेक/आराम के लिए समय मिलना
- ▶ काम से निकाले जाने के समय न्यूनतम समय का नोटिस मिलना
- ▶ काम करने के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण मिलना
- ▶ निजता का अधिकार मिलना और निजी मनोरंजन की गतिविधियाँ करने का अधिकार
- ▶ राजस्व विभाग और रोजगार मामलों और सामाजिक सुरक्षा विभाग में एक कर्मचारी के रूप में पंजीकृत किया जाना
- ▶ अपने लिंग, पारिवारिक या वैवाहिक स्थिति, उम्र, विकलांगता, नस्ल, यौन अभिविन्यास, धर्म या घुमक्कड़ समाज के सदस्य होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना
- ▶ अपने निजी कागजात (जैसे पासपोर्ट, पहचान-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) नियोक्ता के द्वारा अपने पास रख लिए जाने से बचाव
- ▶ अंशकालिक, तयशुदा समय आवधि और एजेंसी से आए कर्मचारियों को समान अधिकार

- ▶ रोजगार में युवाओं के लिए विशेष सुरक्षा
- ▶ गर्भावस्था के अधिकार।

नियोक्ता द्वारा कानून का उल्लंघन जान-बूझकर किया जा सकता है या कानूनी दायित्वों की जानकारी नहीं होने के कारण हो सकता है। कानून का उल्लंघन किसी भी वजह से हो, इसमें ऐसे अपराध शामिल हो सकते हैं जिनके लिए नियोक्ताओं पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

कमचारी को कितना वतन मिलन का अधिकार ह?

राष्ट्रीय न्यनतम मजदरी वह काननी रूप स तय की हुई न्यनतम प्रति घट की दर ह जिसका भगतान कमचारियों को किया जाना जरूरी ह और यह कमचारी की उम्र और अनभव क आधार पर अलग-अलग हो सकती ह। इसका मतलब यह नहीं ह कि नियोक्ता और कमचारी काननी न्यनतम दर स ज़्यादा दर क लिए राज़ी नहीं हो सकत। वतमान दर (1 जनवरी 2022 स) इस प्रकार ह :

उम्र	प्रति घटा दर	राष्ट्रीय न्यनतम मजदरी (एनएमडब्ल) का %
18 स कम	€7.35	एनएमडब्ल का 70%
18 वष	€8.40	एनएमडब्ल का 80%
19 वष	€9.45	एनएमडब्ल का 90%
राष्ट्रीय न्यनतम मजदरी	€10.50	-

किसी भी कमचारी को भगतान की हुई प्रति घटा दर प्राप्त करन क लिए सकल आय को काम क कल घटों स भाग दिया जाता ह। जहा किसी कमचारी को नियोक्ता द्वारा यह सविधा दी गई हो, वहा पर सकल आय म रहन और/या खान क लिए नीच दिय भत भी शामिल हो सकत ह :

- ▶ सिर्फ़ खाने की सुविधा: काम के हर घंटे के लिए €0.94
- ▶ सिर्फ़ रहने की सुविधा: प्रति सप्ताह €24.81 या प्रति दिन €3.55

काय क घटों स सबधित नियम क्या ह?

घरल कमचारियों को एक सप्ताह म औसतन 48 घटों स ज़्यादा काम नहीं दिया जाना चाहिए। इसका अथ यह नहीं ह कि हर हफ़त 48 घट ही काम दिया जाए, लकिन जब 4 महीनों का औसत निकाला जाए तब प्रति सप्ताह का काम 48 घटों स ज़्यादा नहीं होना चाहिए।

रविवार क दिन काम करन क लिए अतिरिक्त वतन दिया जाना चाहिए। यदि इस वतन की दर म शामिल नहीं किया गया हो, तो रविवार क काम क बदल म नियोक्ता द्वारा इनम स एक या अधिक दिया जाएगा :

भत्ता, रविवार को काम करने के लिए अधिक वेतन या वेतन-सहित छुट्टी।

कर्मचारी को 4.5 घंटे काम करने के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेने का अधिकार है और यदि 6 घंटे से ज्यादा काम किया हो तो 30 मिनट का ब्रेक लेने का अधिकार है, जिसमें पहला 15-मिनट का ब्रेक शामिल हो सकता है। इस ब्रेक के समय का वेतन दिया जाना ज़रूरी नहीं है और ये ब्रेक काम के घंटों में शामिल नहीं किये जाएँगे।

नियोक्ता को क्या रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है?

सभी नियोक्ताओं को सभी कर्मचारियों से संबंधित विस्तृत रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। नियोक्ता को ये रिकॉर्ड 3 वर्षों तक रखने होंगे। यह रिकॉर्ड नहीं रखना अपराध है और इसके लिए कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी :

- ▶ राजस्व कमिशनर के पास नियोक्ता का रजिस्ट्रेशन नंबर
- ▶ कर्मचारियों के नाम, पता और पीपीएस नंबर
- ▶ रोजगार शुरू होने की / समाप्त होने की तारीख
- ▶ रोजगार की लिखित शर्तें / अनुबंध और पाँच मुख्य शर्तों का लिखित विवरण
- ▶ वार्षिक छुट्टी और सार्वजनिक छुट्टियाँ लिये जाने का रिकॉर्ड
- ▶ कार्य के घंटे (काम शुरू होने और खत्म होने के समय के साथ)
- ▶ वेतन का विवरण और वेतन पर्चियाँ
- ▶ 18 वर्ष से कम उम्र के कर्मचारियों का रजिस्टर
- ▶ खाने और रहने की सुविधा का विवरण
- ▶ रोजगार के परमिट या विशेष आप्रवास अनुमति का प्रमाण जो गैर-ईईए नागरिकों को काम करने के लिए दी जाती है

कार्यस्थल संबंध आयोग के निरीक्षक द्वारा जाँच करने की दशा में इन रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ सकती है।

शिकायतें

रोजगार के अधिकार और समानता के बारे में शिकायतें कार्यस्थल संबंध आयोग को की जानी चाहिएँ। शिकायतों के आधार पर न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की जा सकती है या कार्यस्थल संबंध आयोग (वर्कप्लेस रिलेशन्स कमिशन - डब्ल्यूआरसी) के निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित शिकायतें स्वास्थ्य और सुरक्षा प्राधिकरण (हेल्थ एंड सेफ्टी

अथॉरिटी) को की जानी चाहिए।

अक्सर पछ जान वाल सवाल

कोई व्यक्ति कमचारी ह या नही इस बात पर अनिश्चितता हो तो?

कोई व्यक्ति कमचारी ह या नही इस सवाल क जवाब क लिए वतमान रोजगार-सबधी काननों और स्थापित अनबध अधिनियमों का सदभ लिया जाता ह। ओ परर या इस तरह क अन्य पदों या सहमति दन वाल पक्षों क बीच अन्य किसी प्रकार की व्यवस्था होन का यह मतलब नही ह कि रोजगार का अनबध आस्तित्व म ही नही ह। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति क लिए भगतान क बदल म कोई काम करता ह तो इसस लगता ह कि किसी तरह का अनबध ह।

यदि सवाल यह हो कि क्या कोई व्यक्ति कमचारी ह या स्व-रोजगारधारी ह, तो इसक लिए मागदशन कोड फॉर प्रकटिस फॉर डितरमाइनिग एम्प्लॉयमट ऑर सल्फ-एम्प्लॉयमट स्टटस ऑफ इडिविजअल्स यानि व्यक्तियों क कमचारी या स्व-रोजगारधारी होन का निणय करन क लिए आचार सहिता म उपलब्ध ह।

यदि म अपन कमचारी को हर हफ़्त 150 यरो का भगतान करू, तो व कितन घट काम कर सकत ह?

किसी कमचारी को वधानिक न्यनतम दर पर काननन काम करन और राष्ट्रीय न्यनतम मजदरी अधिनियम क अनपालनम रहन क लिए, सकल वतन और रहन / खान क लिए लाग भत मिलाकर उसराशिको उसकमचारी क लिए उपयक्त राष्ट्रीय न्यनतम मजदरी दर स भाग दिया जाना चाहिए। नियोक्ताओ को काम करन क घटों का रिकॉड रखना काननन जरूरी ह।

इस तालिका म दिय घटों स ज़्यादा काम करन पर राष्ट्रीय न्यनतम मजदरी अधिनियम का उल्लघन होगा :

उम	दसरी जगह रह और खान
18 स कम	20.4 घट
18 वष	17.85 घट
19 वष	15.87 घट

इस तालिका में सिर्फ़ लागू न्यूनतम मजदरी की दर पर स्वीकृत काम का घट दिया गए हैं, यह नियोक्ता और कमचारियों पर इस सदभ में बंधनकारी नहीं है कि वे आपसे न्यूनतम दर से ज़्यादा का समझौता कर सकते हैं।

मज़दारी परिस्थिति के बारे में किसी से बात करनी है पर मज़दूरी इसका पता अपना नियोक्ता को नहीं लगाना देना है?

कायस्थल सबध आयोग (डबलआरसी) के निरीक्षक घरल कमचारियों की शिकायतों पर गोपनीय रूप से और ज़रूरी होने पर आपका नाम जान बिना भी चर्चा करते हैं। ऐसी कोई भी कारवाई जिसमें कमचारी को अपना नियोक्ता को अपनी पहचान बतानी होगी, वह सिर्फ़ कमचारी की सहमति से ही की जाएगी। कमचारी डबलआरसी से 0818 80 80 90 पर या ईमेल द्वारा inspection@workplacelrelations.ie

अन्य उपयोगी संपर्कों में शामिल हो सकते हैं :

सिटीज़न्स इन्फ़ॉर्मेशन (Citizens' Information), जिनके दफ़्तर सार दश में हैं, सावजनिक सेवाओं और अधिकारों के बारे में जानकारी देते हैं, और जिनसे टेलीफ़ोन द्वारा 0761 07 4000 पर (सोमवार से शक्रवार, सबध 9 बजे से शाम 8 बजे तक) या फिर www.citizensinformation.ie/en/ पर संपर्क किया जा सकता है।

आइरिश कांग्रेस ऑफ़ ट्रेड यूनियंस (Irish Congress of Trade Unions) जिसमें घरल कमचारियों को बेहतर अधिकार दिलाने के लिए एक अभियान चलाते हैं और उनसे टेलीफ़ोन द्वारा 018897777 पर या फिर www.ictu.ie पर संपर्क किया जा सकता है।

आप्रवासी कमचारियों के संगठन, जस माइग्रेंट राइट्स सेंटर ऑफ़ आयरलैंड (Migrant Rights Centre of Ireland) (01 889 7570 या info@mrci.ie) जो आपको जानकारी या सहायता दे सकते हैं।

सपक का विवरण / ज़्यादा जानकारी (Workplace Relations Commission)

कायस्थल सबध आयोग

www.workplacerelations.ie

स्थानीय कॉल : 0818 80 80 90

विदेशों स कॉल करन वाल लोग कपया +353 59 917 8990 पर कॉल कर

स्वास्थ्य और सरक्षा प्राधिकरण (The Health and Safety Authority)

www.hsa.ie

स्थानीय कॉल : 0818 289 389 (सोमवार स शक्रवार, सबह 9 स शाम 5 बज तक)

ईमल: wcu@hsa.ie

विदेशों स कॉल करन वाल लोग कपया +353 1 614 7000 पर कॉल कर

